हरीकिशन उर्फ श्रीकिशन बनाम सरकार
प्रा.पत्र सं. 09/2021
जीसीएमएस नं. 2021-67

नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि श्रीकिशन एवं हरीकिशन दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा रामसर खाता संख्या 57 में वर्णित खसरान 20 में दर्ज नाम प्रार्थी श्रीकिशन पुत्र रामगोपाल जाति साद साकिन देह खातेदार का नाम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेष : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88, 136 आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम रामसर तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 57 में दर्ज नाम प्रार्थी श्रीकिशन पुत्र रामगोपाल जाति साद साकिन देह खातेदार का नाम साकिन देह खातेदार के स्थान पर प्रार्थी हरीकिशन पुत्र रामगोपाल जाति साद साकिन देह खातेदार तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 1/11/2021 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

1/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्डअधिकारी एवं
सहायककलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner